न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 67/2019 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2019/00928
दायर दिनांक :– 25.02.2019 निर्णय दिनांक :– 24.02.2025

1. भंवरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
2. चंदनसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. सुमेरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
4. सवाईसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
5. बुधसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
6. उम्मेदसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
7. भंवरकंवर पत्नी सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
8. शैतानसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
9. विक्रमसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
10. शक्तिसिंह पुत्र सज्जनसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
11. भीखसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
12. डूंगरसिंह पुत्र अनोपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
13. नखतसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपूत निवासी टेकरा तहसील बाप जिला फलोदी
14. सुरेन्द्रसिंह पुत्र जबरसिंह जाति राजपूत निवासी सोवणिया तह. बिलाड़ा जिला जोधपुर

–अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ.सं. 1 ता 10

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में पेश कर दिया है प्रार्थी के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टाया साबित है, और प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। नवसृजित ग्राम जैसेरी पटवार हल्का टेकरा तहसील बाप के खेत खसरा नम्बर 701 रकबा 14–06 बीघा, खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

703 रकबा 7–01 बीघा, खसरा नम्बर 707 रकबा 8–06 बीघा, खसरा नम्बर 708 रकबा 16–00 बीघा, खसरा नम्बर 702 रकबा 3–09 बीघा कुल रकबा 49–02 बीघा भूमि स्थित है। वक्त भू प्रबन्धका 2015 में यह भूमि प्रार्थी के दादा मंगलसिंह के नाम पैमाईश होकर दर्ज अभिलेख की गयी, और प्रार्थी के दादा मंगलसिंह के देहान्त के बाद यह भूमि विरासत नामान्तरकरण संख्या 412 के जरिये प्रार्थी के पिता हुकमसिंह एंव उनके भाई सज्जनसिंह के नाम दर्ज अभिलेख की गयी। नवसृजित राजस्व ग्राम जैसेरी में खेत खसरा नम्बर 713 रकबा 14–03 बीघा, खसरा नम्बर 715 रकबा 27–01 बीघा, खसरा नम्बर 753 रकबा 100–08 बीघा, खसरा नम्बर 759 रकबा 88–00 बीघा, खसरा नम्बर 760 रकबा 2–18 बीघा, खसरा नम्बर 712 रकबा 0–15 बीघा कुल रकबा 233–05 बीघा है। मूल राजस्व ग्राम टेकरा में खसरा नम्बर 35 रकबा 14–08 बीघा, खसरा नम्बर 37 रकबा 1–18 बीघा, खसरा नम्बर 38 रकबा 22–05 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 26–17 बीघा, खसरा नम्बर 40 रकबा 4–00 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 13–05 बीघा कुल रकबा 82–13 बीघा स्थित है। यह भूमि वक्त भू–प्रबन्ध सम्वत 2015 में प्रार्थी के दादा मंगलसिंह व उनके भाई अनोपसिंह पि. कल्याणसिंह 1/2 हिस्सा, दिपसिंह पुत्र जवारसिंह 1/2 हिस्सा पैमाईश की जाकर दर्ज अभिलेख की गयी। प्रथम जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संम्वत 2017 से 2020 एवं चालू जमाबंदी सम्वत 2073–2076 तक और विरासत नामान्तरकरण संख्या 412 व 413 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। अगर अप्रार्थीगण अपने मकसद में सफल हो जाते है तो प्रार्थी के जायज खातेदारी हकूको पर कुठाराघात होगा, और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी दावेदार है, और अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का जायज हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 14 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिस से यह स्पष्ट हो सके कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है और प्रार्थी हुकमसिंह का वारिस है। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पति है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त किया जाना है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है रेकर्डेड खातेदारों के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी उचित नही है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल [illegible])
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (कसौदी)